

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन


(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हाथला

**-:आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिखा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हाथला तहसील सिखा जिला कोटकी की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जंभाधरिया	7	बैरसी/बालका	बैरसीराम/बालकराम - 245/18
2	रात्रपुरा	96	रा. प्रा. वि. देववा	रा. प्रा. वि. रात्रपुरा - 246/18
3	हाथला	84	रा. प्रा. वि. भेलों का हाथला	रा. प्रा. वि. भेलों का हाथला - 247/18
4	मीडरी	237	रा. प्रा. वि. कपरीयों की बरती	रा. प्रा. वि. कपरीयों की बरती - 248/18
5	मीठावा	89	रा. प्रा. वि. लाला बिकी की दागी मीठावा	रा. प्रा. वि. लाला बिकी की दागी - 249/18

2018/00234  
2018/00235  
2018/00236  
2018/00237  
2018/00238


()  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर,

कमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सिखा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

()  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,

